

डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान
श्यामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.

विज्ञापन संख्या 1/2016

दिनांक: 27.04.2016

(अध्येतावृत्तियों हेतु विज्ञापन)

पुरातत्व के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करने हेतु डॉ.वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान की स्थापना, संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2012 में की गयी थी। संस्थान सर्वेक्षण, उत्खनन, कार्यशाला, संगोष्ठी व विशेष व्याख्यान आदि शोध गतिविधियाँ संचालित कर रहा है। संस्थान ने मध्यप्रदेश के पुरातत्व पर अनुसंधान करने हेतु दो कनिष्ठ एवं दो वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसके लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

| क्र. | अध्येतावृत्तियाँ | संख्या | अवधि | अध्येतावृत्ति राशि | आयु सीमा |
|------|-------------------------------|--------|---------|--|--|
| 1 | कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति | 02 | 02 वर्ष | रु. 15,000 प्रति माह एवं रु. 20,000 आकस्मिक अनुदान प्रतिवर्ष | अधिकतम 30 वर्ष |
| 2. | वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति | 02 | 02 वर्ष | रु. 40,000 प्रति माह एवं रु. 50,000 आकस्मिक अनुदान प्रतिवर्ष | न्यूनतम आयु 40 वर्ष एवं अधि. 65 वर्ष |

न्यूनतम योग्यता, आयु, शोध का क्षेत्र, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विस्तृत जानकारी व नियम एवं शर्तें संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल की वेबसाइट www.vskpr.org पर उपलब्ध है। आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक स्वयं सत्यापित अंकसूचियों, प्रमाण-पत्रों एवं संक्षेपिका के साथ निदेशक, डॉ. वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान, राज्य संग्रहालय, श्यामला हिल्स, भोपाल के कार्यालय में **30.05.2016** तक पहुँच जाना चाहिए।

आयुक्त पुरातत्व एवं सचिव
डॉ. वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान
भोपाल

डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान
श्यामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.

विज्ञापन संख्या 1/2016

दिनांक: 27.04.2016

(अध्येतावृत्तियों हेतु विज्ञापन)

पुरातत्व के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करने हेतु डॉ.वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान की स्थापना, संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2012 में की गयी थी। संस्थान सर्वेक्षण, उत्खनन, कार्यशाला, संगोष्ठी व विशेष व्याख्यान आदि शोध गतिविधियों संचालित कर रहा है। संस्थान ने मध्यप्रदेश के पुरातत्व पर अनुसंधान करने हेतु दो कनिष्ठ एवं दो वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसके लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

| क्र. | अध्येतावृत्तियाँ | संख्या | अवधि | अध्येतावृत्ति राशि | आयु सीमा |
|------|-------------------------------|--------|---------|---|--|
| 1 | कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति | 02 | 02 वर्ष | रु. 15,000 प्रति माह एवं रु. 20,000 आकस्मिक अनुदान प्रतिवर्ष | अधिकतम 30 वर्ष |
| 2. | वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति | 02 | 02 वर्ष | रु. 40,000 प्रति माह एवं रु. 50,000 आकस्मिक अनुदान प्रतिवर्ष | न्यूनतम आयु 40 वर्ष एवं अधि. 65वर्ष |

न्यूनतम योग्यता:-

(अ) कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति कनिष्ठ अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन अथवा मध्यकालीन भारतीय इतिहास/संस्कृति/पुरातत्व/ संग्रहालय विज्ञान/कला का इतिहास विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं पी.एच.डी. हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। (एम.फिल.में अध्ययनरत छात्र अध्येतावृत्ति के पात्र नहीं होंगे।)

(ब) वरिष्ठ अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थी यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन या मध्यकालीन भारतीय इतिहास/संस्कृति/पुरातत्व/संग्रहालय विज्ञान/कला का इतिहास/ पर्यटन व विरासत विषय में स्नातकोत्तर हो एवं पुरातत्व या उपरोक्त में से किसी एक विषय का उत्कृष्ट विद्वान हो, साथ ही 15 वर्ष का शोध (सर्वेक्षण एवं उत्खनन) अनुभव हो एवं एक पुस्तक व 15 शोध पत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हों। अथवा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर 15 वर्ष का अध्यापन अनुभव एवं एक पुस्तक व 15 शोध पत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हों।

उत्कृष्ट स्तर के शोध प्रकाशन/सर्वेक्षण/उत्खनन होने पर प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या शिथिलनीय होगी।

शोध का क्षेत्र एवं शीर्षक मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व या मध्यकालीन पुरातत्व से संबंधित होना चाहिए।

डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान, श्यामला हिल्स भोपाल

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन – पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. जन्म तिथि
- (हाईस्कूल अंकसूची के अनुसार)
3. राष्ट्रीयता
4. स्थायी पता
5. पत्राचार का पता
- (ई-मेल व मो.न. सहित)
6. (अ) विभाग का नाम.....
- (ब) महाविद्यालय एवं/या विश्वविद्यालय का नाम
- (स) पी-एच.डी. हेतु पंजीकरण का तिथि
- (पंजीकरण के प्रमाण-पत्र के सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- (द) क्या यू.जी.सी. नेट या स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण है ?.....
- (यदि हों तो प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- (ई) भाषा का ज्ञान.....
7. पी-एच.डी. हेतु शोध का शीर्षक
8. शोध निर्देशक का नाम एवं पद
9. शैक्षणिक योग्यता :-

| क्र. | प्रमाण पत्र/ उपाधि | वर्ष | मण्डल/ वि.वि. | विषय | प्राप्तांक व प्रतिशत | श्रेणी |
|------|--------------------|------|---------------|------|----------------------|--------|
| | | | | | | |

10. शोध अनुभव (यदि हो)
(अ) अवधि.....
(ब) प्रकाशित शोध पत्र (यदि हो).....
(पूर्ण जानकारी सहित सूची संलग्न करें)

11. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करें।

- (अ) अध्येतावृत्ति को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र (विभागाध्यक्ष द्वारा जारी)
- (ब) पी-एच.डी हेतु पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- (स) यू.जी.सी. नेट या स्लेट परीक्षा का प्रमाण पत्र (यदि हो)
- (द) प्रकाशित शोध पत्रों की सूची (यदि हो)
- (इ) जीवन-वृत्त (बायो-डाटा) की दो प्रति
- (फ) शैक्षिक योग्यता संबंधी सभी सत्यापित अंकसूचियों / प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां
- (ग) शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र जो विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित हो।
- (घ) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र/ अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि।

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वह मेरे विश्वास से पूर्णतः सत्य है। मैंने संस्थान के नियम व शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उनसे सहमत हूँ। यदि मैं चयनित होता हूँ/होती हूँ तो मेरे लिये शोध कार्य हेतु संस्थान द्वारा प्रदत्त अध्येतावृत्ति पूर्णकालिक होगी, कोई अन्य अध्येतावृत्ति या शोध हेतु वित्तीय सहायता या रोजगार हेतु नियोजन को स्वीकार नहीं करूँगा/करूँगी। यदि शोध कार्य पूर्ण करने में मैं असफल रहा/रही तो मैं अध्येतावृत्ति की राशि वापिस करूँगा/करूँगी।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम.....

(विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के उपयोग हेतु)

अग्रेषण हेतु अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा

स्थान

हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित

दिनांक

विभागाध्यक्ष

डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान, श्यामला हिल्स भोपाल

वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन – पत्र प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. जन्म तिथि
- (हाईस्कूल अंकसूची अनुसार)
3. राष्ट्रीयता
4. स्थायी पता
5. पत्राचार का पता
- (ई-मेल व मो.न. सहित)
6. पूर्व में प्राप्त अध्येतावृत्ति

| अध्येतावृत्ति का स्रोत(संस्था) | प्रतिमाह/प्रतिवर्ष प्राप्त राशि | अवधि | सम्पन्न शोध कार्य का विवरण |
|--------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| | | | |

7. वर्तमान पद एवं वेतनमान.....
8. शैक्षणिक योग्यता :-

| क्र. | प्रमाण पत्र/ उपाधि | वर्ष | मण्डल/ वि.वि. | विषय | प्राप्तांक व प्रतिशत | श्रेणी |
|------|--------------------|------|---------------|------|----------------------|--------|
| | | | | | | |

9. प्रस्तावित शोध का शीर्षक.....
(कृपया विस्तृत शोध प्रारूप की संक्षेपिका प्रस्तुत करें।)

10. भाषा का ज्ञान

11. शोध अनुभव (यदि हो)
- (अ) अवधि.....
- (ब) प्रकाशित शोध पत्र
(पूर्ण जानकारी सहित सूची संलग्न करें)
- (स) प्रकाशित ग्रंथ
(पूर्ण जानकारी सहित सूची संलग्न करें)
- (द) उत्खनन, सर्वेक्षण आदि का अनुभव
(पूर्ण जानकारी सहित सूची संलग्न करें)
12. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करें।
- (अ) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र/ अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि।
- (ब) प्रकाशित शोध पत्रों की सूची (यदि हो)
- (स) शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी सत्यापित अंकसूचियों की प्रतिलिपि

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वह मेरे विश्वास से पूर्णतः सत्य है। मैंने संस्थान के नियम व शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उनसे सहमत हूँ। यदि मैं चयनित होता हूँ /होती हूँ तो मेरे लिये शोध कार्य हेतु संस्थान द्वारा प्रदत्त अध्येतावृत्ति पूर्णकालिक होगी, कोई अन्य अध्येतावृत्ति या शोध हेतु वित्तीय सहायता या रोजगार हेतु नियोजन को स्वीकार नहीं करूँगा/करूँगी। यदि शोध कार्य पूर्ण करने में मैं असफल रहा/रही तो मैं अध्येतावृत्ति की राशि वापिस करूँगा/करूँगी।

स्थान

हस्ताक्षर पद मुद्र सहित

दिनांक

नाम.....

अन्य नियम व शर्तें:-

1. अनुसंधान हेतु अध्येतावृत्ति कुल दो वर्षों तक ही प्रदान की जायेगी। किसी भी स्थिति में अवधि बढ़ायी नहीं जायेगी। अध्येतावृत्ति स्वीकृत होने से दो वर्ष की अवधि के पूर्व ही यदि शोध प्रबंध प्रस्तुत/जमा कर दिया जाता है तो जमा करने की दिनांक से अध्येतावृत्ति स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी।
2. अध्येतावृत्ति पूर्ण कालिक होगी तथा इस दौरान पूर्ण अथवा आंशिक आर्थिक सहायता लेना अथवा रोजगार/सेवायोजन मान्य नहीं होगा, इस आशय का वचनबद्धता शपथ पत्र (100 रु. के स्टाम्प पेपर पर) संस्थान को प्रस्तुत (चयनित होने पर) करना होगा जो व्यक्ति पूर्व से ही किसी संस्था में कार्यरत है, उन्हें अध्येतावृत्ति के दौरान अध्ययन अवकाश लेना होगा, जो संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक होगा।
3. शासकीय/विश्वविद्यालय/निजी संस्थान में सेवारत अभ्यर्थी का आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष/नियोक्ता की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ से अग्रेषित होना आवश्यक है, अभ्यर्थी को अध्येतावृत्ति अवधि का अध्ययनावकाश लेना होगा। संस्था द्वारा वेतन संरक्षित होने पर मात्र आकस्मिक अनुदान राशि ही प्रदान की जायेगी।
4. अध्येतावृत्ति हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित शोध प्रारूप की संक्षेपिका प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो निम्न बिन्दुओं पर आधारित हो:-
(क) समस्या कथन (शोध शीर्षक) (ख) संबंधित साहित्यिक स्रोत (प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत)
(ग) समस्या कथन पर अब तक किया गया शोध कार्य (घ) अध्ययन क्षेत्र (ङ) शोध प्रविधि
(च) अध्यायीकरण (छ) संदर्भ ग्रन्थ सूची
5. कनिष्ठ अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन पत्र को विभागाध्यक्ष से अग्रेषित होना आवश्यक है।
6. अध्येतावृत्ति राशि संबंधित अध्येता के बैंक खाता में जमा की जायेगी।
7. कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता का शोध प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक छः माह के पश्चात शोध निर्देशक द्वारा जारी एवं विश्वविद्यालय/संस्था के विभागाध्यक्ष, से अग्रेषित होना चाहिए।
8. वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता को शोध प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक छः माह के पश्चात साक्ष्य सहित संस्थान के निदेशक को प्रस्तुत करना होगा।
9. अध्येतावृत्ति की राशि प्रति माह के अनुसार प्रत्येक छः माह में शोध प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर संस्थान के निदेशक द्वारा सत्यापन किये जाने के आधार पर संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी।
10. शोध प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर या संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अध्येतावृत्ति रोक दी जावेगी। आकस्मिक अनुदान राशि का प्रमाण सहित ब्यौरा एक वर्ष पश्चात् प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करने पर अध्येतावृत्ति रोक दी जावेगी।
11. एक वर्ष पश्चात अध्येता द्वारा अध्येतावृत्ति राशि की दो किस्त (छः-छः माह में प्राप्त) एवं आकस्मिक अनुदान प्राप्त करने के बाद संस्थान में उपस्थित हो कर अपने शोध कार्य का प्रतिवेदन निदेशक को प्रस्तुत करना होगा। शोध कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अगले वर्ष की अध्येतावृत्ति राशि एवं आकस्मिक अनुदान की अंतिम किस्त रोक दी जावेगी।
12. अध्येता को अपने शोध प्रबंध की दो प्रतियाँ संस्थान को प्रस्तुत करना होगी तभी आकस्मिक अनुदान का अंतिम भुगतान होगा।
13. अंतिम छः माह की अध्येतावृत्ति राशि उसी स्थिति में जारी की जायेगी, जब अध्येता द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उसने विश्वविद्यालय/शोध संस्थान में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिया है।

आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक स्वयं सत्यापित अंकसूचियों, प्रमाण-पत्रों एवं संक्षेपिका के साथ निदेशक, डॉ. वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान, राज्य संग्रहालय, श्यामला हिल्स, भोपाल के कार्यालय में **30.05.2016** तक पहुँच जाना चाहिए।

आयुक्त पुरातत्व एवं सचिव
डॉ. वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान
भोपाल

कार्यालय, डॉ. वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान
(संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय)
राज्य संग्रहालय परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल-462013

क्र. / / वाकण / 2016

भोपाल, दिनांक

प्रति,

संयुक्त संचालनालय (विज्ञापन)
जनसंपर्क संचालनालय,
भोपाल

विषय:- संस्थान में दो वरिष्ठ एवं दो कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों प्रदान करने हेतु विज्ञापन जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत डॉ. वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान, भोपाल में दो वरिष्ठ एवं दो कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों प्रदान करने हेतु संलग्न प्रपत्र-1 अनुसार समाचार पत्रों में एवं संलग्न प्रपत्र-2 के अनुसार रोजगार और निर्माण में विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु प्रस्तुत हैं। तद्विषयक सी.डी. भी संलग्न प्रस्तुत है। कृपया देश/प्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने का कष्ट करें।

निदेशक

डॉ.वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान
श्यामला हिल्स, भोपाल